

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/3884

दिनांक 17/10/2025


उत्तवानी प्रकरण - बलदेव सिंह वनाम् भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या:- 230/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुगत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 01/भूअ./2025 दिनांक 29/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम तिलमपुरा पटवार हल्का सिहाड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 2 में खातेदार बलदेव सिंह पुत्र शिवशु के स्थान पर बलदेव सिंह उर्फ बल्ला पुत्र शिवशु का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का सिहाड़ी उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।


उपखण्ड अधिकारी
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/3885-86

दिनांक 17/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ:-

- 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
- 2 पटवारी हल्का सिहाड़ी तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)